न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 61/2024

अपीलांट –

1. गोधुराम पुत्र खेमाराम
2. जेहाराम पुत्र दीपाराम
3. जालूराम पुत्र दीपाराम
4. सवाईसिंह पुत्र दीपाराम
5. धापू पत्नी सोनाराम
6. मांगाराम पुत्र सोनाराम
7. मूला पुत्र खेमा के कायम मुकाम
   7/1 ठाकराराम पुत्र मूलाराम
   7/2 राणाराम पुत्र मूलाराम
   7/3 पदमी पत्नी मूलाराम
   जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. अणदाराम पुत्र करनाराम
2. खरथाराम पुत्र करनाराम
3. चंदु पत्नी करनाराम
4. चैनाराम पुत्र करनाराम
5. रविन्द्र सिंह पुत्र करनाराम
6. राणाराम पुत्र हनुमान राम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तरमीम दुरस्ती स्वीकृति आदेश दिनांक 04.12.2024 जो तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 12.03.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक [illegible] दिनांक 01.12.2024 के विरूद्ध दिनांक 18.12.2024 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि [illegible] का खेड़ा के खसरा नंबर 71, 72, 73, 663/122 का विभाजन प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] में

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कार्यालय तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक/राजस्व/523 दिनांक 12.04.2023 को हुआ जिसके अनुसरण मे नामान्तरकरण संख्या 134 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा बनाया गया जिसमें त्रुटिवश दीपाराम, मूलाराम वगैरह के हिस्से की भूमि बरंग "बैगनी" मे खसरा नंबर 776/73 दर्ज होना था जिसकी जगह 778/73 दर्ज हो गया तथा खरथाराम, चैनाराम वगैरह के हिस्से की बरंग "लाल" मे खसरा नंबर 778/73 दर्ज होना था जिसकी जगह 776/73 दर्ज हो गया तदनुसार लठ्ठा ट्रेस मे भी खसरा नंबर का अंकन गलत हो गया। इस हेतु पक्षकारान द्वारा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित खसरा संख्या अंकन में हुई लिपिकीय त्रुटि का संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर हल्का पटवारी कवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा संशोधन (Corrigendum) आदेश दिनांक 04.12.2024 पारित किया गया जिसके विरूद्ध दिनांक 18.12.2024 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा उतरदातागण के आवेदन दिनांक 20.11.2024 पर वादग्रस्त खसरा नंबर 776/73 एवं 778/73 जो मौका रिपोर्ट संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में पूर्व स्थिति अनुरूप थे को तरमीम दुरूरती कर नक्शा परिशिष्ट ब में दुरूस्ती करने का जो आदेश पारित किया जो तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र व क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया है क्योकि किसी भी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड/नक्शा में दुरूस्ती करने का अधिकार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त हैं। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा वादग्रस्त खसरा सं. 776/73 व 778/73 मौजा काउ का खेड़ा के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का जो आदेश पारित किया है वह क्षेत्राधिकार से परे होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से भी निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर [illegible] एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई किन्तु हल्का पटवारी [illegible] अपीलांट्स को सूचना दिये बिना ही मौका फर्द एकपक्षीय [illegible] प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में अपीलांट्स हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद उन्हे जानकारी नहीं दी गई तथा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय होने से निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस नामान्तरकरण में त्रुटि कारित होना अंकित किया हैं वह भी सक्षम न्यायालय में चुनौती योग्य है जबकि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा स्वंय ही अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का अनाधिकृत रूप से उपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जो अवैध होने से निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें तथा नक्शा में पूर्ववत स्थिति बहाल की जावें।

5. रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. हमने अपीलांट के अपील मीमों में प्रकट तथ्यों एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम काऊ का खेड़ा के खसरा नंबर 71, 72, 73, 663/122 का विभाजन प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में कार्यालय तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक/राजस्व/523 दिनांक 12.04.2023 को हुआ जिसके अनुसरण मे नामान्तरकरण संख्या 134 भरा गया। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा बनाया गया जिसमें त्रुटिवश दीपाराम, मूलाराम वगैरह के हिस्से की भूमि बरंग "बैगनी" मे खसरा नंबर 776/73 दर्ज होना था जिसकी जगह 778/73 दर्ज हो गया तथा खरथाराम, चैनाराम वगैरह के हिस्से की बरंग "लाल" मे खसरा नंबर 778/73 दर्ज होना था जिसकी जगह 776/73 दर्ज हो गया तदनुसार लठ्ठा ट्रेस मे भी खसरा नंबर का अंकन गलत हो गया। इस हेतु पक्षकारान द्वारा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित खसरा संख्या अंकन में हुई लिपिकीय त्रुटि का संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर हल्का पटवारी कवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा संशोधन (Corrigendum) आदेश दिनांक 04.12.2024 पारित किया गया जिसके विरूद्ध दिनांक 18.12.2024 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन अभिलेख एवं विभाजन नक्शा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हैं कि खसरा सं. 73 में बरंग बैंगनी हिस्सा खसरा सं. 72 गैर मुमकीन के साथ खातेदार दीपाराम वगैरह की खातेदारी में रखा गया हैं तथा खसरा सं. 73 में बरंग लाल हिस्सा खसरा सं. 71 गैर मुमकीन के साथ खातेदार खरथाराम वगैरह के हिस्से में रखा गया हैं। इसी अनुसार [illegible] खातेदारी अंकित की गई हैं किन्तु लिपिकीय भूल से खसरा सं. 72 गैर [illegible] साथ विभाजित खसरा सं. 776/73 दर्ज करने के बज[illegible] इसी प्रकार खसरा सं. 71 गैर मुमकीन के साथ खसरा सं. 778/73 के स्थान पर 776/73 दर्ज कर दिया गया हैं। इस प्रकार यह लिपिकीय त्रुटि रेकर्ड के समक्ष देखने मात्र से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ही स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं जिसे संशोधन द्वारा दुरूस्त किया जाना आवश्यक था तथा इस प्रकार की लिपिकीय त्रुटियों के परिमार्जन हेतु नामान्तरकरण स्वीकृति अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण स्वंय सक्षम हैं। इस लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे है तथा इस प्रकार की त्रुटियों का परिमार्जन स्वतः संज्ञान के द्वारा भी लिया जा सकता हैं। अपीलांट्स द्वारा विभाजन हेतु दी गई अपनी सहमति अनुसार ही अभिलेख को संशोधित कर अद्यतन किया गया है, जिससे अपीलांट्स का हित भी किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस गैर मुमकीन भूमि के साथ उन्हे खसरा संख्या 73 का भाग दिया गया है उसी अनुसार अपीलाधीन आदेश के द्वारा संशोधन किया गया हैं जो पूर्णतया विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक रूप से न्यायोचित हैं। अतः हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि नहीं होने से हमारे विनम्र अभिमत से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested